न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या : 12/33/2022

कम्प्यूटर आई.डी.क्रमांक : 2022/70

प्रवेश तिथि : 02.08.2022

अपीलार्थी

श्री सुक्कन राम कोली पुत्र भीमाराम कोली,
नि. ग्राम व पोस्ट–बहरामपुर, तहसील–कठूमर
जिला–अलवर (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 07.09.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन–पत्र दिनांकः – के माध्यम से प्रत्यर्थी कार्यालय से पी.एम. आवास योजनान्तर्गत नाम जोड़ने संबधी प्रशासन गांव के संग शिविर दिनांकः 22.11.21 बहरामपुर अंतर्गत प्रस्तुत प्रा0पत्र पर की गई कार्यवाही बाबत सूचना चाही गई थी।
4. आवेदक को उक्त आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 29.07.2022 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु जरिये पत्र सं. आरटीआई/2021–22/944 दिनांकः 06.09.2022 एवं पत्र सं. आरटीआई/2021–22/956 दिनांकः 12.09.2022 के माध्यम से विस्तृत जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर मनन किया गया। आवेदक द्वारा सूचना आवेदन दिनांकः 25.06.2022 (रजिस्टर्ड डाक) के माध्यम से "आवेदक के स्वयं के बी.पी.एल. श्रेणी में होने, कच्चा मकान होने के बावजूद पी.एम. आवास योजना से वंचित होने, कुछ लोगों के पक्का मकान होने पर भी लाभार्थी होने के के संबंध में मौके पर जॉच कराकर आवेदक का नाम इस लिस्ट में जोडने संबंधी प्रशासन गांव के संग शिविर बहरामपुर दिनांकः 22.11.2021 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही " संबंधी सूचना चाही गई थी।
8. सूचना आवेदन के आधार पर किसी विषय पर जॉच कराकर सूचना उपलब्ध कराया जाना, आंकडों का विश्लेषण करना एवं उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा पी.आई.ओ. से नहीं की जा सकती है।
9. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में विकास अधिकारी, पं.स. कठूमर से जॉच कराकर रिपोर्ट प्रेषित की है जिसके अनुसार अपीलार्थी के बी.पी.एल. श्रेणी में होना गाईडलाईन के अनुसार पात्र नहीं है किन्तु प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम पंचायत/पंचायत समिति, कठूमर में अपील आवेदन करने पर ही नाम जोडा जाना प्रस्तावित होगा। प्रधानमंत्री आवास प्लस की सूची में अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं है, उक्त आलोक में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है।
10. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है।
11. अपील, अपीलार्थी खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
13. निर्णय घोषित।

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)